Information to Parents regarding fees for the Academic Year 2020-2021

Date: 26.04.2020

Dear Parents,

Online payment of the school fee for the academic session 2020-2021 can be done by the parents **w.e.f. 27.04.2020.**

This is for your kind information that -

1. No increase has been made in any head of the fee payable to school for this year.

2. Yearly charges have also been divided to be paid on monthly basis.

3. Transport fee will be charged only after the reopening of school.

This is our gentle request to all the parents to pay the school fee of their wards on monthly basis religiously, if they do not have much problem.

Without fee, it would really be very difficult for us to run the system.

Your kind cooperation in the best interest of school is highly solicited.

Principal

DAV Centenary Public School, Jagjeetpur, Laksar Road, Hardwar(UK)

संख्या : 130/XXIV-B-5/2020/03(01)/2020

प्रेषक,

आर० मीनाक्षी सुन्दरम
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–5 देहरादून, दिनांक 22 अप्रैल, 2020

विषय – **शासकीय, अशासकीय, सहायता प्राप्त एवं निजी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं से लिए जाने वाले शुल्क के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि **कोरोना वायरस** (COVID-19) संक्रमण से बचाव/रोकथाम के दृष्टिगत सम्पूर्ण भारत वर्ष में दिनांक 15 अप्रैल, 2020 से दिनांक 03 मई, 2020 तक लॉकडॉउन–2 घोषित किया गया है। इसी क्रम में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अग्रिम आदेशों तक राज्य के समस्त विद्यालयों को बन्द रखा गया है। शासनादेश संख्या–126/XXIV-B-5/2020/03(1)/2020 दिनांक 25 मार्च, 2020 के द्वारा प्रदेश में संचालित शासकीय, अशासकीय, सहायता प्राप्त एवं निजी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं से **कोरोना वायरस** (COVID-19) संक्रमण विषयक स्थिति सामान्य होने तथा विद्यालयों के खोले जाने हेतु आदेश निर्गत किये जाने तक समस्त प्रकार के शुल्क लिए जाने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है। शासन के संज्ञान में आया है कि कतिपय निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा छात्र–छात्राओं से शुल्क प्राप्त न होने के कारण, इन संस्थाओं में कार्यरत शिक्षक/कार्मिकों को वेतन भुगतान करने में असमर्थता व्यक्त की जा रही है, जिसके कारण सम्बन्धित शिक्षक/कार्मिकों के समक्ष उक्त विषम परिस्थितियों में विकट आर्थिक कठिनाई उत्पन्न हो रही है। अतः उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि –

1. प्रदेश में स्थित समस्त शासकीय, अशासकीय, सहायता प्राप्त एवं निजी विद्यालयों में अध्ययरत छात्र–छात्राओं के ऐसे अभिभावकों से शुल्क जमा करने हेतु अनुमति प्रदान की जाती है, जो स्वेच्छा से शुल्क जमा करना चाहते हैं।
2. उक्तानुसार एक बार में केवल वर्तमान माह का ही शुल्क जमा किया जायेगा। विद्यालय द्वारा किसी भी दशा में आने वाले माहों का अग्रिम शुल्क एक साथ कदापि नहीं लिया जायेगा।
3. शैक्षिक सत्र 2020–21 में निजी विद्यालयों द्वारा किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार के शुल्क में वृद्धि नहीं की जायेगी।
4. ऐसे छात्र–छात्राएं, जो लॉकडाउन से उत्पन्न आर्थिक तंगी के कारण मासिक शुल्क का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं उनका नाम विद्यालय से पृथक नहीं किया जायेगा तथा उन्हें उक्त स्थिति सामान्य होने तक शुल्क भुगतान करने हेतु बाध्य नहीं किया

जायेगा एवं उनका पठन–पाठन (ऑनलाईन/अन्य संचार माध्यमों से) भी यथावत रखा जायेगा।

5. सभी शासकीय, अशासकीय, सहायता प्राप्त एवं निजी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/कार्मिकों का मासिक वेतन का भुगतान नियमित रूप से किया जायेगा।
6. प्रश्नगत माहों में शासकीय, अशासकीय, सहायता प्राप्त एवं निजी विद्यालयों द्वारा छात्रहित में ऑनलाईन एवं अन्य संचार माध्यमों द्वारा शिक्षण कार्य जारी रखा जायेगा।

कृपया उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।

पृ0सं0 : 130 /XXIV-B-5/2020/03(01)/2020 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
2. निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मण्डलायुक्त गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल।
6. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, समस्त जनपद उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा/अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. क्षेत्रीय अधिकारी, सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0 को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. मण्डलीय अपर निदेशक (मा0शि0/प्रा0शि0), गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल को उक्त आदेश के अनुपालनार्थ।
10. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड को उक्त आदेश के अनुपालनार्थ।
11. समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड को उक्त आदेश के अनुपालनार्थ।
12. प्रदेश स्थित उक्त विभिन्न बोर्डों के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापकों को (मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से) को उक्त आदेश के अनुपालनार्थ।
13. कार्यालय प्रति।

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव